# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 141/17 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2017/00088

**उनवान**

1. चन्द्रवती वेवा प्रेम सिंह
2. योगेन्द्र
3. धर्मेन्द्र — पिस0 प्रेमसिंह
4. अरविन्द सिंह
5. वीरबल सिंह पुत्र गोपी सिंह
6. विजय सिंह पुत्र पल्लन सिंह
7. प्रीतम सिंह पुत्र फत्तेह सिंह

जाति जाट निवासी नगला वरेला तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री अतर सिंह जाति ब्राहम्ण निवासी गॉव नगला केशरिया तहसील व जिला भरतपुर।
2. गोलो पत्नी लक्खो पुत्री अतर सिंह
3. जलकोदेवी पत्नी राधेश्याम पुत्री अतर सिंह

जाति ब्राहम्ण निवासी नगला चन्द्रकान तह0 व जिला मथुरा।

..... असल रेस्पोंडेंट।

4. मिथलेश वेवा दुलीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी नगला केशरिया तहसील व जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर दि0 19.08.2003 मि.नं. 21/2002 उनवानी राधेश्याम बनाम मिथलेश।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री विजय सिंह कुन्तल उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय                                   दिनांक–27.12.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2003 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण असल रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के वादीगण असल रैस्पो0 खातेदार काश्तकार हैं तथा कब्जा भी उन्हीं का है। विवादग्रस्त आराजी वादी असल रैस्पो0 के पिता अतर सिंह की खुदकाश्त एवं खातेदारी की आराजी थी। अतर सिंह के दो लडके वादी व दुलीचन्द थे। दुलीचन्द की शादी मिथलेश से हुई। मिथलेश के दुलीचन्द के नुफ्ते से एक लडका बन्टू पैदा हुआ। परन्तु कुछ समय बाद दुलीचन्द व बन्टू दोनों ही फौत हो गये। दोनों के फौत होने के बाद मिथलेश ने पुर्नःविवाह भी कर लिया। इसलिये प्रतिवादी अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं रहा। परन्तु प्रतिवादी अपीलाण्ट ने बन्दोबस्त विभाग से साज कर विवादित आराजी का इन्द्राज अपने नाम करा लिये एवं कुछ हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया। अतः दावा प्रस्तुत कर इस प्रकार डिक्री किये जाने का निवेदन किया कि विवादित आराजी के वादी असल रैस्पो खातेदार काश्तकार हैं जो इन्द्राज प्रतिवादी अपीलाण्ट के नाम हैं उन्हें कलमजन किया जावे व गलत इन्द्राजो के आधार पर किया गया बयनामा वादी असल रैस्पो0 के मुकाबले शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 का निर्णय विधि विरूद्ध दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष कतई विधि संगत नहीं है कि मृतक अतर सिंह की वारिस मिथलेश नही हैं। क्योंकि उसने पुर्नःविवाह कर लिया है। इसलिये उसे धारा 24 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वारिस नहीं माना जा सकता। जबकि धारा 24 में इस तरह का प्रावधान नहीं. है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य बयान राधेश्याम स्वयं वादी रैस्पो0 यह नही बता पाया कि मिथलेश ने पुर्नःविवाह कौनसी तारीख को, किस व्यक्ति

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

के साथ व किस गॉव में किया है। जबकि असल रैस्पो0 यह स्वीकार करता है कि मिथलेश उसकी खास साली है तथा मेरी पत्नि जो उसकी बहन है उसके पास आती रहती है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कथन को दरकिनार करते हुये दुर्भावना पूर्ण अपना निष्कर्ष दिया है। धारा 24 पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि पुर्नःविवाह के आधार पर भी मृतक पुत्र की पत्नि को उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह है कि मिथलेश के पुत्र बन्टू को दिनांक 12.10.89 को जीवित ना होना व उससे पूर्व ही मृत्यु होने के बाबत् निष्कर्ष भी साक्ष्य के विपरीत हैं। चूंकि पूर्व में दाखिल खारिज विरासत भरते समय बन्टू का नाम सहवन से रह गया था। जिसके विरूद्ध कार्यवाही होने पर बन्टू का नाम विरासत दाखिल खारिज में अंकित किया उस दाखिल खारिज को राधेश्याम ने किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी बल्कि उस दाखिल खारिज के विरूद्ध जलको व गोलो ने अपील प्रस्तुत की जिसमें राधेश्याम पक्षकार था। राधेश्याम गोला व जलको ने कही भी यह प्रश्न नहीं उठाया कि बन्टू का देहान्त उक्त विरासत दाखिल खारिज स्वीकार होने से पूर्व ही हो गया था। उक्त तथ्य को भी अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट विवादित आराजी की क्रेता है। मिथलेश व बन्टू ने सम्पूर्ण हिस्सा अपीलाण्ट को विक्रय कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी की घोषणा में अतर सिंह का उत्तराधिकार तय कराया है। जबकि राजस्व न्यायालय उत्तराधिकार तय करने के लिये सक्षम नहीं है। उत्तराधिकार सिविल कोर्ट ही तय कर सकता है। पुर्नःविवाह कब हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने कही पर भी तय नहीं किया। किसी भी दस्तावेज से पुर्नविवाह साबित नहीं है। आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता सूची में मिथलेश, दुलीचन्द्र की विधवा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर सीटी 2008 पेज 351, आरआरटी 2002(2) पेज 752, 2007(1) पेज 723, 2014(1) पेज 695 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। मिथलेश आज दिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं आयी एवं ना ही उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की कोई अपील ही प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा भी अपीलाण्ट ने ही दिया। मिथलेश ने कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया। जवाब दावा में अपीलाण्ट ने कही भी नहीं कहा कि मिथलेश ने पुनः शादी नहीं की है। विवादित आराजी राधेश्याम को अतर सिंह से प्राप्त हुई है। नामान्तकरण संख्या 52 दिनांक 07.05.1986 से अतर सिंह की विरासत का नामान्तकरण हुआ। बंटू यदि 1986 में जीवित था तो दाखिल खारिज में क्यों नहीं आया क्योकि बंटू 1986 से पहले ही मर चुका था। विक्रय पत्र दिनांक 12.10.1989 का है। विक्रय पत्र के समय बंटू जीवित ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नहीं था। अपील होने पर दाखिला खारिज पुनः भरा गया। अतर सिंह की मृत्यु पर बंटू जीवित नहीं था एवं मिथलेश ने पुनः विवाह कर लिया। अतः राधेश्याम रैस्पो0 ही उत्तराधिकारी रहा। दाखिला खारिज खुलने से पूर्व ही पुनः विवाह करके मिथलेश चली गयी थी। धारा 24 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में से हटा दी है। किन्तु पहले प्रभावी थी। दावा खातेदारी अधिकारो की घोषणा का था। अतः उक्त दावे को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है। सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार का कोई उल्लेख जवाब दावा में अपीलाण्ट ने नहीं किया। दावा एवं जवाब दावा के ही आधार पर तनकी बनती हैं। पुर्नःविवाह नहीं होना प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित नहीं होता है। नाबालिग की सम्पत्ति को न्यायालय की अनुमति के बिना बेचान नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप एवं तनकीवार है। अपने तर्को के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 229, 770, हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम धारा 24, एआईआर 2021 पेज 198, 1982 पेज 158, 1996 पेज 90, 1959 पेज 188 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि मिथलेश द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है एवं ना ही वह न्यायालय हाजा में ही उपस्थित रही हैं। अधीनस्थ न्यायालय में भी अपीलाण्ट ने अपने जवाब दावा में विशिष्ट रूप से मिथलेश का पुर्नःविवाह कर लेने से मना नहीं किया है। नामान्तकरण दिनांक 07.05.1986 व रिव्यू आज्ञा दिनांक 30.05.1991 दोनों ही अतर सिंह की विरासत के खोले गये हैं। उक्त दोनों ही नामान्तकरण में बन्टू का नाम नहीं है एवं दुलीचन्द की विधवा के रूप में मिथलेश का नाम अंकित करना और बन्टू का नाम ना होना यह सिद्ध करता है कि तत्समय बन्टू जीवित नहीं था, तो बयनामा दिनांक 12.10.1989 को बन्टू किस प्रकार जीवित हो सकता है। इसके अलावा सरपंच ग्राम पंचायत इकरन पंचाचत समिति सेवर द्वारा भी दिनांक 23.11.1989 को बन्टू की मृत्यु लगभग 6 वर्ष पूर्व होना का उल्लेख किया है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में मिथलेश के पुर्नःविवाह नहीं कर लेने के तथ्य को साबित नहीं कर पाये हैं। उनके द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं वह मिथलेश के पुर्नःविवाह नहीं करने के तथ्य को साबित करने के लिये पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 24 के मुताबिक उचित रूप से रैस्पो0 राधेश्याम को उनका उत्तराधिकारी माना है। जहॉ तक अपीलाण्ट की यह आपत्ति की उत्तराधिकार सिविल कोर्ट तय करता है, का प्रश्न है, बाबत् हम पाते हैं कि वादी रैस्पो0 ने विवादित आराजी बाबत् अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा किया है ना कि उत्तराधिकार तय करने हेतु एवं खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को हीं प्राप्त है। उपरोक्त विवेचनानुसार चूंकि विवादित आराजी पर मिथलेश के खातेदारी अधिकार पुर्नःविवाह कर लेने के पश्चात्

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वैध नहीं पाये गये हैं। अतः उनके द्वारा विवादित आराजी का विक्रय भी वादी रैस्पो0 के मुकाबले शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में सभी तनकियों को तय करते समय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हम हमारे हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2003 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27-12-2023

(अखिलेश कुमार पिंपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर